

13/08/25

अवयं फल ३५१ इस न्यायालय के भाषित दिनांक २३-०५-२०२५ के  
विषय मा० राजेश मण्डल अजमेर में निशानि सं. ५०५३/२०२५ प्रमुख  
दोषी फल पत्रांक ९५५५ डा. २०-०६-२०२५ से यह जमादली चली है।  
अतः उम्हें पचादली मा० मण्डल को शेषित हो। नंबर से फल हो  
आदेश सुत्रमा जम्मा

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

G CMS  
2024/405



# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर ( राज. )

क्रमांक/राजस्व/ पाद पत्र/ 201 / 2024 / 13.00.25/ 4911

दिनांक : 13/08/2024

प्रेषित :-

श्रीमान निबंधक मतेष्य

राजस्थान अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 201/2024 अनवान जगदीश (फौत) सुमित्रा देवी आदि  
बनाम जसराम (फौत) कुलावती आदि अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 207, 209 RTA  
निर्णय दिनांक 23/05/2025 भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्रांक टीए/मिा/2025/4843/जंग/13/08/2025/8544  
दिनांक 20/06/2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 201/2024  
अनवान जगदीश (फौत) सुमित्रा देवी आदि बनाम जसराम (फौत) कुलावती आदि  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 207, 209 RTA निर्णय दिनांक 23/05/2025  
कुल पृष्ठ (99) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़